

## कृषि तथा किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा पंचकुला आदेश

हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य), नियम, 2016 के अध्याय II के भाग 89 में निहित प्रावधान के तहत 180 दिनों के लिए निम्न शर्तों पर तालिका अनुसार 2 कृषि विकास अधिकारियों का अस्थाई समायोजन किया जाता है:-

1. अधिकारी की वरिष्ठता उसके मूल काडर में ही रहेगी।
2. सम्बन्धित काँडर में नई नियुक्ति पर अधिकारी पुनः अपने काडर में स्वतः वापिस होगा।
3. अधिकारी का Soil Conservation Cadre में कार्य करने का अनुभव Soil Conservation Cadre में शामिल नहीं किया जाएगा।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पद	अधिकारी जहां कार्यरत है	जिस कार्यालय में अस्थाई समायोजन किया गया है।
1.	श्री राजेश कुमार, कृषि विकास अधिकारी	कृषि विकास अधिकारी, कुल्हा अधीन उप मण्डल कृषि अधिकारी, टोहाना	कृषि विकास अधिकारी, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (की०), सिरसा
2.	श्री सोमबीर सिंह, कृषि विकास अधिकारी	कृषि विकास अधिकारी (पौ०सं०) अधीन सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, झज्जर	कृषि विकास अधिकारी, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (खाद), रोहतक

दिनांक: 06-11-2018

दुष्मंता कुमार बहेरा

निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,  
हरियाणा।

पृ० क्रमांक: 2583-2590 /स्था०-11(1), पंचकुला दिनांक: 27/11/18

इसकी प्रति निम्नलिखित:-

1. अतिरिक्त निदेशक (विस्तार), निदेशालय, कृषि तथा किसान कल्याण, हरियाणा, पंचकुला:
2. उप निदेशक (पौ०सं०), कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला:
3. उप निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, फतेहाबाद:
4. वरिष्ठ विश्लेषक, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (खाद), रोहतक:
5. वरिष्ठ विश्लेषक, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (की०), सिरसा:
6. उप मण्डल कृषि अधिकारी, टोहाना:
7. सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, झज्जर:
8. सम्बन्धित अधिकारी:

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

*M. P. Singh*

सहायक निदेशक (प्रशा०-11)

कृते: निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,  
हरियाणा, पंचकुला।

CC.

1. PA/DA
2. PA/Addl. Dir (Admn.)
3. Programmer to E-mail all concerned & to upload same on Departmental portal